

**Government of Rajasthan**  
**Law (A) Department**  
**NOTIFICATION**

*Dated, Jaipur, the 31th July, 1964*

*No. F. 3(2)-L/64.-* In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

**The Rajasthan Legislative Assembly Members  
(Medical Facilities) Rules, 1964**

*1. Short title.-* These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964.

*2. Medical Facilities admissible.-* (1) Subject to the provisions contained in sub-rule (2), the members of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to the same medical facilities as are available to the Officers of the State Government under the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2008\* as in force for the time being, hereinafter in this rule referred to as the said Rules.

\*\* (2) In their application to the members, the said rules shall be construed as if for sub-clause (V) of clause (h) of Rule 2 and the Notes thereunder the following sub-clause were substituted, namely :—

(v) Provision of accommodation, free of charge, in a hospital in a special ward with a single bed, provided that if accommodation in such a ward is not available, accommodation, free of charge, in a special ward consisting of not more than two beds or any deluxe ward whichever may be available.

---

\*F7(18)Sansad/98 dated, 18/2/2010 with effect from 23.9.2008.

(24)

राजस्थान सरकार  
विधि (क) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, 31 जुलाई, 1964

**संख्या एफ. 3(2) एल./64.-** राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम संख्या 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964**

1. **संक्षिप्त नाम.-** इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964 है।

2. **अनुज्ञेय चिकित्सीय सुविधाएं.-** उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यक्षीन, राजस्थान विधान सभा के सदस्य वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे जो तत्समय प्रवृत्त राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, \*2008 जिन्हें इन नियमों में इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

(2) उक्त नियमों को सदस्यों पर लागू करते समय उनका अर्थान्वयन ऐसे किया जायेगा मानो नियम (2) के खण्ड (ज) के उप-खण्ड (V) और उसके नीचे के टिप्पणियों के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित हुआ हो, अर्थात् :-

(V) किसी चिकित्सालय के एक शैया वाले विशेष वार्ड में निःशुल्क वास सुविधा का प्रबन्ध, परन्तु यदि ऐसे वार्ड में वास सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो अधिक से अधिक दो शैया वाले विशेष वार्ड या तत्समय उपलब्ध किसी डीलक्स वार्ड में निःशुल्क वास सुविधा।

---

\*प.7(18)संसद/98 दिनांक 18/2/2010 द्वारा संशोधन किया। दिनांक 23-9-2008 से प्रभावी

(25)

**\*(3) Supersession of existing rules.**- The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1961, are hereby superseded.

[F.3(2) Law/64]  
By Order of the Governor,  
**Leher Singh Mehta,**  
Secretary to the Government.

(25)

**(3) विद्यमान नियमों का अतिष्ठित किया जाना.-** राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1961 इसके द्वारा अतिष्ठित किये जाते हैं।

[एफ. 3(2) एल./64]

राज्यपाल की आज्ञा से,  
**लहरसिंह मेहता,**  
शासन सचिव।